कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

प्र.क./0024/अ–82/2019–20 /6290 श्योपुर दिनांक 08.08.2019

प्रारम्भिक अधिसूचना

(भू–अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम ,2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत)

जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर– श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम **हांसिलपुरखुर्द** तहसील वीरपुर जिला श्योपुर में कुल रकवा **1.693** हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।

अतः जिला –श्योपुर तहसील वीरपुर के ग्राम **हांसिलपुरखुर्द** प.ह.न **04** रा.नि. वृत **02** में उक्त परियोजना के लिये **1.693** हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है –

क्र.	सर्वे नंम्बर	स्वामत्वि का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हित वद्ध व्यक्ति का नाम, पता, (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	5	4	6
1	137	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.012	कौशल्या पुत्री राधे जाति कुम्हार पता नि0ग्रा0
2	138	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.325	धप्पो वाइ पत्नी ग्यारसा धनश्याम गनेश लक्ष्मीनारायण प्रेमनारायण दिलीप पुत्रगण ग्यारसा श्यारदा लीला पुष्पा कल्पना पुत्रीयां ग्यारसा समान भाग जाति कुम्हार पता निवी ग्राम भू.आ. 2.19

कलेक्टर
जिला श्योपुर (म.प्र.)

3	142	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.215	जगदीश पुत्र रामप्रसाद कमला विमला शकुन्तला रूकमणी सुनीता रेखाचन्द्र कला द्वारिका पुत्रियां रामप्रसाद हि. 1/2 समान भाग गिर्राज लक्ष्मीनारायण मदनमोहन राजेन्द्र पुत्रगण मानिक रामलता मालती पुत्रियां मानिक मु. धप्पो वेवा मानिक हि. 1/2 समान भाग जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम
4	143	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.186	जगदीश पुत्र रामप्रसाद कमला विमला शकुन्तला रूकमणी सुनीता रेखाचन्द्र कला द्वारिका पुत्रियां रामप्रसाद हि. 1/2 समान भाग गिर्राज लक्ष्मीनारायण मदनमोहन राजेन्द्र पुत्रगण मानिक रामलता मालती पुत्रियां मानिक मु. धप्पो वेवा मानिक हि. 1/2 समान भाग जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम
5	157	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.088	रतन भजन पुत्रगण चुन्नी लता पुत्री चुन्नी मू0 लाडो बेवा चुन्नी जाति सहर पता नि0ग्रा0 चांदुपुरा समान भाग
6	158	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.041	कौशल्या पुत्री राधे जाति कुम्हार पता नि0ग्रा0
7	160	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.472	दौज्या देवा उंकार रामसुखा पुत्रगण झंडू जाति सहर पता नि0ग्रा0 समान भाग
8	163	शासकीय पट्टेदार	कृषि भूमि	0.065	गोपाल पुत्र सुखदे जाति सहर पता निवासी ग्राम हि. 1/2 कुढेरी कन्नू घासी पुत्रगण मल्लू जाति सहर पता निवासी ग्राम 1/2 क समान भाग म. भन्ती पत्नी रामहेत जाति सहर पता निवासी बलावनी क समान भाग मूला वेवा मल्लू जाति सहर निवासी ग्राम क समान भाग लगान 6.46
9	170	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.289	मुन्ना पुत्र घुरिया छाया शान्ति बूदा पुत्रीयां घूरिया मु. नारायणी वेवा धूरिया जाति सहर निवासी ग्राम समान भाग
				1.693	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की

कलेक्टर
जिला श्योपुर (म.प्र.)

धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि मे प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, कय/विकय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किऐ जा सकेंगे ।

विशेष– धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू – अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

स्थानः श्योपुर
तारीख –08.08.2019

न्यायालय कलेक्टर एंव जिलादण्डाधिकारी जिला श्योपुर (म०प्र०)

(बसंत कुर्रे)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला श्योपुर (म.प्र.)

पृ.क../0024/अ–82/भू–अर्जन/2019–20 /6291 श्योपुर दिनांक 08/08/2019

प्रतिलिपि–

1. नियंत्रक शासकीय केन्द्र मुद्रणालय म.प्र. भोपाल की ओर राजपत्र मे अधिसूचना प्रकाशन हेतु ।
2. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय भोपाल की ओर 02 स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों मे प्रकाशन हेतु ।
3. कलेक्टर जिला श्योपुर के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर जिला श्योपुर के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु ।
5. उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) उत्तर मध्य रेल, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
6. तहसीलदार तहसील वीरपुर की ओर उक्त अधिसूचना का प्रकाशन तहसील पुलिस स्टेशन के ग्राम पंचायत के सूचना पटल एवं स्थल पर प्रकाशन/चस्पा करने एवं ग्राम मे मुनादी उपरांत तामीली प्रति भेजने हेतु
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी. श्योपुर की ओर कलेक्टर जिला श्योपुर (समुचित सरकार) के कार्यालय की अधिकृत बेवसाईड पर अपलोड हेतु ।

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला श्योपुर (म.प्र.)